उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-32 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
32(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-पोखर भिटुआ तथा सिकन्दरपुर खुर्द परगना-बस्ती पूरब, तहसील-भानपुर, जनपद-बस्ती के निवासिंयों ने अपनी राजस्व संबंधी समस्या का समाधान कराये जाने हेतु आई०जी०आर०एस० संख्या-40018524035423 दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से अनुरोध किया है ?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त सन्दर्भ संख्या के माध्यम से की गयी शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या थें और उपरोक्तानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र में अवैध कब्जा किये जाने एवं शीशम के पेड़ को अवैध रूप से काटकर विक्रय किये जाने की मुख्य शिकायतें की गयी है। प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार (सोनहा) की अध्यक्षता में गठित राजस्व टीम द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच करायी गयी। गाटा संख्या 308क/0.611 हे0 बंजर के खाते में दर्ज है व गाटा संख्या 308ख/0.150हे० खाद गडढे के खाते में दर्ज है। गाटा संख्या 308क/0.611 हे0 का पट्टा हुआ था, जिसे अपर कलेक्टर जनपद बस्ती के आदेश दिनांक 23.09.2024 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के अन्तर्गत निगरानी दाखिल की गयी, जिसे न्यायालय आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा वाद संख्या 1724/2024 को दिनांक 13.01.2025 को निरस्त कर दिया गया है। गाटा संख्या 308क/0.611 हे० मौके पर खाली है। आंशिक भाग पर सड़क है, जिस पर आवागमन चल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा शीशम के पेड़ को काटे जाने के सम्बंध में शिकायत की गयी है, जांच में पाया गया कि अभिलेख में गाटा संख्या 108/0.030 हे० में अहमद अली आदि के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है। गाटा संख्या-108 में कोई शीशम का पेड़ नहीं पाया गया।
(ग) यदि नहीं, तो अब तक संतोषजनक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है और कब तक उक्त सन्दर्भ संख्या में किये गये अनुरोध पर कार्यवाही पूर्ण करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।